Regd. No. CHD/0093/2015–2017

No. 222-2017/Ext.] p.Mhx<+] eaxyokj] fnukad 19 fnlEcj] 2017

fo/kk;h ifjf'k"V

Øekad	fo"k; oLrq	i`"B
PartI	**अधिनियम**	
	dqN ugha	
PartII	**v/;kns'k**	
	dqN ugha	
PartIII	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसचना संख्या का०आ० 74/के०अ० 67/1957/धा० 9ख. 15 तथा 15क/2017. दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 - हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	685&699
PartIV	**षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन**	
	dqN ughaA	

(lxxxix)

HARYANA GOVT. GAZ. , (EXTRA) DEC. 19, 2017 (AGHN. 27, 1939 SAKA) 685

भाग -III

gfj;k.kk ljdkj

खान तथा भूविज्ञान विभाग

notification

fnukad 19 fnlEcj] 2017

la[;k dkåvkå 74@dsåvå 67@1957@/kkå 9[k] 15 rFkk 15d@2017ः- खान औरखनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67), की धारा 9 ख,धारा 15 की उपधारा (4) तथा धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा केराज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अथ्ािात्ः-

1- ये नियम हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। laf{kIr ukeA

2- (1) इन नियमों में. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षि ात न हो.- ifjHkk"kk,aA

(K) "अधिनियम" से अभिप्राय है. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67);

(ख) "प्रभावित क्षेत्र" से अभिप्राय है, खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के कारण प्रभावितक्षेत्र;

(c) "प्रभावित जनता" से अभिप्राय है. खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के O;fDRk(

(d) "लेखापरीक्षक" से अभिप्राय है. प्रतिष्ठान द्वारा नियक्त कोई चार्टर्ड इसमें प्रधान महालेखाकार भी शामिल है;

(d) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है. प्रतिष्ठान का अध्यक्ष;

(f) "समिति" से अभिप्राय है. वन विभाग. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ष्ि ाक्षाविभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग से प्रत्येक एक अधिकारी, जो जिला स्तरअधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, से

(six) "अंशदान" से अभिप्राय है. केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट

धन/अनिवार्य भाटक/राजशुल्क की ऐसी प्रतिशतता पर जिले में बड़े या कीlajpukA

(h) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिले का उपायुक्त;

(i) "प्रतिष्ठान" से अभिप्राय है, नियम 4 के अधीन गठित जिला खनिज

(´) "निधि" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान की निधि;

(t) "शासकीय परिषद" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से okyh ifj"kn~(

(l) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्राय है, नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति;

(d) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रषासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की

(n) "खनिज रियायत धारक" से अभिप्राय है, किसी खनिज के खनन पट्टे या lafonk dk /kkjd(

(o) "वर्ष" से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ तथा आगामी वर्ष के 31 समाप्त होने वाला वित्त वर्ष।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्त अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में उन्हें दिये गए हैं।

3- जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा,

	insu lnL;	
1	**2**	
1	mik;qDr	v/;{k
2	vij mik;qDr	mik/;{k
3	lEc) ftys dk lalnh; lnL;	lnL;
4	ftys ds lHkh fo/kku lHkk lnL;	lnL;
5	सहायक खनन अभियन्ता/खनन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो	lnL; lfpo
6	मण्डल वन अधिकारी	lnL;
7	कार्यकारी अभियन्ता (भवन तथा सडके)	lnL;
8	dk;Zdkjh vfHk;Urk] iapk;rh jkt	lnL;
9	जिले का मख्य चिकित्सा अधिकारी	lnL;
10	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदषण नियन्त्रण बोर्ड	lnL;
11	जिला शिक्षा अधिकारी	lnL;
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी	lnL;
	Ukkekafdr lnL;	
13	एक बडे खनिज तथा दसरा लघ खनिज रियायत धारकों में से दो	lnL;
14	खनिज प्रसंस्करण उद्योग से एक प्रतिनिधि	lnL;
15	प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों के समदाय से दो प्रतिनिधि	lnL;
16	खान कर्मकारों का एक प्रतिनिधि	lnL;
17	ftys esa [kuu dk;Z esa nl o"kZ dk vuqHko j[kus okyk rduhdh [kuu O;fDr	lnL;
18	सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई अन्य	lnL;

प्रतिष्ठान काप्रबन्धन।

4- प्रतिष्ठान का प्रबन्धन षासकीय परिषद में निहित होगा जिसमें प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों सभी सदस्य षामिल होंगे। प्रतिष्ठान, सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देषों तथा मार्गदर्षनों

'kkldh; ifj"kn dh cSBdA

5- (1) षासकीय परिषद की बैठक, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बलाई tk,xhA

(2) बैठक की गणपर्ती कल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

(3) प्रतिष्ठान के सभी निर्णय षासकीय परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहमत से यदि अपेक्ष्ििात हो, तो मतदान से लिए जाएंगे। बराबरी के मामलों में, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष का

ukekafdr सदस्यों की fu;qfDr rFkk lsok ds fucU/ku rFkk 'krsZaA

6- (1) नामांकित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अध्यक्ष एक अवधि fy, ukekafdr lnL; dh fu;qfDr dk uohdj.k dj ldrk gSA

(2) कोई भी नामांकित सदस्य सरकार को सम्बोधित करते हए अपने हस्ताक्षर सहित viuk R;kxi= ns ldrk gS fdUrq tc rd mldk R;kxi= Lohdkj ugha fd;k tkrk gS in /kkj.k disxkA

(3) नामांकित सदस्य राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को लाग हरियाणा सिविल सेवा

कोई रिक्तिप्रतिष्ठान केकृत्यों पर प्रभाव नहीं

अनसार बैठक में उपस्थित होने के लिए खर्चो को परा करने के लिए भत्ते प्राप्त करंेगे।

(4) नामांकित सदस्य किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

7-अवधि की समाप्ति, त्याग पत्र, हटाए जाने, अयोग्यता, मृत्यु या किसी कारण, जो भी हो, के कारणप्रतिष्ठान में होने वाली कोई रिक्ति प्रतिष्ठान के कृत्यों को प्रभावित नहीं करेगी।

Mkysxh A

lnL; dh अयोग्यता।

8- नामांकित सदस्य अयोग्य हो जाएगा यदि वह.-

(K) किसी अपराध के लिए सि

ljdkj dh jk; esa uSfrd v/kerk okyk gS(

(b) विकृतचित्त हो गया है तथा

(c) अननमोचित दिवालिया हो

(घ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के LokfeRok/khu ;k fu;fU=r f gVk;k x;k gS ;k inP;qr fd;k x;k gS(

(ङ) स्वयं या भागीदार के रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रतिष्ठान के आदेश से किए गए किसी कार्य में या प्रति की ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई निजी शेयर या निजी हित रखता है; या

(च) प्रतिष्ठान की ओर से कोई वेतन पाने वाले विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित है या प्रतिष्ठान के विरूद्ध वि नियोजन स्वीकार करता है।

9- सरकार किसी नामांकित सदस्य को हटा सकती है यदि वह -

(क) नियम 8 में विहित किन्हीं अयोग्यताओं में से किसी एक के अध्यधीन आता है; gVk;k tkukA

(ख) प्रतिष्ठान से अवकाश लिए बिना अनुपस्थित रहता है, प्रतिष्ठान की तीन लगातार बैठकों esa vuqifLFkr jgrk

(ग) सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोक हि

परन्तु किसी भी सदस्य को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे प्रस्ताव के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

'kkldh; प्रबन्ध समिति की 'kfDr;ka rFkk d`R;A

11-

प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।(i) (ii)

(iii) वार्षिक बजट प्लान का अनुमोदन करना और आगामी वित वर्ष के लिए उसे तैयार करना(iv) (v) (vi) (vii) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरिक्ष्ि‍ात लेखों का अधिमानतः नब्बे दिन के भीतर(viii) प्रभावित व्यक्तियों की अद्यतन सूची तैयार करना तथा बनाए रखना।प्रतिष्ठान का दिन प्रतिदिन का प्रबन्धन, प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित किया जाएगा जोसरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी ऐसे निर्देशों तथा मार्गदर्शनों के अध्यधीन

विस्तृत

पाॅलिसी ढांचा अधिकथित करना तथा इसका पुनर्विलोकन करना;

स्कीमों तथा परियोजनाओं की सूची तथा प्राथमिक उपायों को दर्शाते हुए

(2) प्रबन्ध समिति -

(i)प्रतिष्ठान के हित तथा अंषदान को संरक्ष्ि‍ात करने के लिए अपने कर्तव्यों को करने में सम्यक् तत्प

(ii)धारकों से अंषदान का समय पर संग्रहण सुनिष्ि‍चत करेगी;

(iii) समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के लिए मास्टर योजना या विजन दस्तावेज प्राप्त करेगी

(iv) प्रस्तावित स्कीमों तथा परियोजनाओं के साथ-साथ प्रतिष्ठान की वार्षिक योजना rFkk okf"kZd ctV rS;kj djus esa lgk;rk djsxh(

(v)प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना, स्कीमों तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा निष्पादन सुनिश्

(vi) परियोजनाओं की स्वीकृति देगी;

(vii)सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रतिष्ठान के नाम से लेखों के माध्

(viii)निधि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी;

(ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर प्रतिष्ठान के अनमोदन के लिए उसके सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्ष्िात लेखे रखेगी;

(x)सभी अन्य कार्य करेगी जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने तथा प्रबन्धन के लिए आवष्यक हों।

(3) प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

निधि। निधि का lapkyuA निधि का उपयोग।

12. (1) निधि में निम्नलिखित जमा होंगे.-

(i)केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निकाय, चाहे नि

सभी अनुदान, परिदान, चन्दा तथा migkj(

(ii)सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रतिष्ठान द्वारा उधार ली गई राष्ि;

(iii)किसी भी प्रकार के किसी स्रोत से प्रतिष्ठान द्वारा या की ओर से प्राप्त सभी अन्य jkf'k;ka(

(iv)बड़े खनिज के सम्बन्ध में प्राप्त अंषदान;

(v)लघु खनिजों के सम्बन्ध में, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों के संग्रहण, परिवहन त

स्थापित खान तथा खनिज विकास तथा विनियमन निधि में प्राप्त कुल राष्ि का एक तिहाई;

(vi)निवेष तथा अन्य निक्षेप तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज तथा उससे उत्पन्न कोई अन्य vk;(rFkk

(vii)प्रतिष्ठान की सभी अन्य सम्पŸि ायां तथा उससे प्राप्त या उसके मूल्यांकन से आय।

(2) प्रतिष्ठान के लिए भुगतान जिले में संविदाकारों/पट्टाधारियों से मासिक में संगृहीत किया जाएगा तथा सीधा प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप किया जाएगा। यदि कोई भिन्न राष्िराजस् वह तुरन्त प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप की जाएगी।**13-** निधि केवल प्रतिष्ठान के नाम से प्रत्येक जिले में सरका में रखी जाएगी तथा लेखे दो पदाभिहित हस्ताक्षरियों, एक अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाएगा औरदूसरा संचालित किये जाएंगे। प्रतिष्ठान निधि की लेखापुस्तक बनाए रखेगा।

14-निधि निम्नलिखित रीति में उपयोग की जाएगी, अर्थात:-

(1) सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी मार्गदर्षनों के अनसार निधि का बीस प्रतिषत क्षेत्र में परे होने वाले खनन कार्यकलापों के बाद भविष्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए स्थायी निधि के रूपe

(2) निधि का साठ प्रतिषत निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा:-

(K) पेय जल आपर्ति- केन्द्रीयक अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेय जल, जल आपूर्ती प्रणाली के लिए पाईपMkyu

(b) केन्द्रीयकत परिरक्षण तथा नदियों, झीलों, तालाबों, भू-जल, अन्य जल स्रोतो के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओ निवारण, खान जल निकास प्रणाली,खान प्रदूषण निवारण टेक्नोलोजी के लिए उपाय मरम्मत (पुनरूद्धार), सुधार तथा पुनर्वास तथा अन्य वायु, जल तथा पर्यावरणस्नेही तथा ज सतह प्रदूषण नियन्त्रणप्रक्रिया के लिए उपाय ;

(c) स्वास्थ्य खतरों से सम्बन्धि dY;k.k] LokLF; fLFkfr ds lq/kkj rFkk laj{k.k gsrq(

(d) मरीजों के पात्र विधिक वा

(d) fu;fer LokLF; tkap dSE

(f) प्रभावित व्यक्तियों के लिए

(छ) प्रभावित क्षेत्रांे में प्राथमिक/माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं हेतु तथा स्थानीयनिव स्वास्थ्य देख-रेख अवसंरचना कोmUur djus gsrq(

(ज) दूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिए विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों,प्रयोगशाल शौचालयों ब्लाकों, आवासीय होस्टलोंके निमार्ण, खेल अवसंरचना, अध्यापकांे/अन्य सहायता सुविधाओं (बस/वैन/साईकल/रिक्षा इत्यादि) की अन्य सुविधाएंउपलब्ध करवाई जाएगी और अ जाएंगे;

(i) महिलाओं तथा बच्चों के क बीमारियों इत्यादि की समस्याओं के समाधान के लिए विषेष कार्यक्रम हेतु ;

(j) वृद्ध तथा अषक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु;
(t) स्थानीय पात्र व्यक्तियों की आजीविका सहायता, आमदनी उत्पन्न करने तथा आर्थिक कार्यकलापों के लिए कौषल विकास करवाया जाएगा। इसमें प्रष्ि◌ाक्षण,कौषल विकास के स्कीमें तथा स्वयं सहायता समूहोंकी सहायता तथा ऐसे स्वयं रोजगार आर्थिक कार्यकलापों के लिए उ की व्यवस्था षामिल हैं;
(l) अपषि◌ाष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई djus] mfpr ty fudkl rFkk eytq mipkj la;U= dh O;oLFkk] xans dhpM+ के निपटान की सम्बन्धित कार्यकलापों की व्यवस्थाdh tk,xhA

(3) बीस प्रतिषत निधि निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाएगीः-
(क) सडकों, पुलों, रेलों तथा जल मार्ग परियोजनाओं की व्यवस्था करने हेतु;
(b) सिंचाई के वैकल्पिक स्र◌ा◌ेतों को विकसित करने, उपयक्त तथा उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए;
(c) ऊर्जा (माईक्रो हाईडल सहित) तथा वर्षा जल एकत्र करने की प्रणाली के वैकल्पिक स्रोतों के विकास, पौधारोपण, फलोधान, समेकित कृषि तथा आर्थिकवनखंड का विकास त

परन्तु उपनियम (2) तथा (3) के अनुसार निधियों का उपयोग करते समय,निधि का कम से कम 60 प्र क्षेत्रों में खर्च कियाtk,xkA

15- यथा अधिसूचित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई) समय-भारत सरकार द्वारा जारी योजना के मार्गदर्षनों के अनुसार प्रतिष्ठान को प्रोद्‌भूत निधियों का उपयोगकरते हुए सम्बन्धित जिलों के प्रतिष्ठान द्वारा लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना(पी०एम०के०

16- (1) प्रभावित क्षेत्र में निम्नलिखित षामिल हो◌ंगे,- प्रभावित क्षेत्रों तथा turk dh igpkuA
(K) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां प्रत्यक्ष खनन सम्बन्धी संक्रियाओं उत्खनन, खनन, ब्लास्टिंग, सज्जीकरण तथा अपशिष्ट निपटान, अधिक भार ढेर, टेलिंगतालाब, परिवहन व जिसमें निम्नलिखित भी षामिल हो◌ंगेः

(i) ,sls xkao rFkk xzke iapk;rs ftuesa [kku fLFkr gSa rFkk ifjpkyu esa gSaA ,sls खनन क्षेत्र उसी स्थिति में समीपवर्ती गांव, ब्लाक या जिले में विस्तारित हो सकतेgSa(
(ii)किसी खान या खानों के समूह में ऐसे घेरे के भीतर कोई क्षेत्र, जो चाहे वहसम्बद्ध जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो, को ध्यान में रखे बिनाljdkj }kjk fofuZfn"V fd;k tk,xk(
(iii)गांव जिनमें खानों द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकरणों द्वारा पुनःclk;k x;k ;k iwuoZkl fd;k x;k gS(
(iv)गांव जो उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों परसार्थक रूप से निर्भर है तथा परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार तथा परम्परागतअधिकार रखते है। उदाहरणार्थ पशु चरानें, लघु वन उपज इत्यादि के संग्रहणgsrq(

(b) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र- ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय जनता खनन
(2) सम्बन्धीसंक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिणामों
(K) के कारण प्रतिकूलरूप से प्रभावित है। खनन का मुख्य नकारात्मक संघटन जल, मिट्टी तथा वायु गुणवŸ◌ा◌ाकी विकृति, नदी बहावों में कमी तथा भू-जल की क्षीणता, खनन संक्रियाओं, खनिजों केपरिवहन के कारण संकुलन तथा प्रदूषण, विद्यमान अवसंरचना तथा संसाधनों पर भार मेंवृद्धि के रूप में हो

(i)भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदषर्ि◌◌ाताअधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ग) केअधीन यथा परिभाषित प्रभावित कुटुम्ब;

(ii)भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदषर्ि्ाता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ट) के अधीन यथा ifjHkkf"kr foLFkkfir dqVqEc (

(iii)कोई अन्य जो सम्बद्व ग्राम पंचायत द्वारा उचित रूप से परिलक्ष्िात किया जाए ;

dk;kZsa ;k संविदाओं काykxwdj.kA ikjnf'kZrk dk vuqikyukA [kpsZA लेखें तथा ys[kkijh{k kA

(b) खनन से प्रभावित व्यक्तियो विधिक तथा व्यावसायिक अधिकार है तथा जिनके भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी

(c) प्रभावित कटम्बों की, यथा सम्भव, ग्राम पंचायत या षहरी स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के स्थानीय/चयनित प्रतिनिधियों के परामर्ष से पहचान की जाएगी;

17- (1) प्रतिष्ठान द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य, केवल सरकारी विभागों, एंजेसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से पूरे किए जाएंगे जो साधारणतः ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करते या संविदा देते परियोजनाओं को यथा लागू सुसंगत मानकांे तथाप्रबन्ध प्रक्रिया का पालन करेंगे।

(2) कार्य का तकनीकी अनमोदन तथा पर्यवेक्षण, सम्बद्ध विभाग में यथा लाग षक्तियों के प्रषासकीय प्रत्यायोजन के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियांे द्वारा देखभाल की जाएगी।

(3) ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में, जो सरकारी विभाग, एजेंसियों या सार्वजनि से निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, षासकीय परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पारदर्षीप्रक्रि तथा समर्थ एजेंसी को कार्य दे सकती है।**18-** सरकार प्रत्येक जिले के प्रतिष्ठान के लिए वैबपोर्टल विकसित अद्यतन रखी जाएगी, अर्थातः-

(i) प्रतिष्ठान की संरचना के ब्यौरे;
(ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों तथा जनता की सची;
(iii) पट्टांे तथा संविदाआंे से प्राप्त सभी अषंदानों के त्रैमासिक ब्यौरे;
(iv) प्रतिष्ठान की सभी बैठकों की कार्यसची, कार्यवत्त तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर)
(v) वार्षिक योजना तथा बजट;
(vi) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट;
(vii)चल रहे कार्यों की स्थिति जिसमें कार्यों का वर्णन, लाभार्थियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत,कार्यान्वि समापन की अनुमानित तिथि तथापिछली तिमाही तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति;
(viii)प्रतिष्ठान द्वारा किए गए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अधीन बनाई गई लाभार्थियों की सूची;
(ix) सचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण;

19- प्रतिष्ठान के निम्नलिखित खर्चे निधि से पूरे किए जाएंगे, अर्थात्;

(K) प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन या निष्पादन में तथा प्रतिष्ठान निधि में सम्मिलित निवेषांे तथा परिसम्पŸिायों की वसूली, संरक्षण या लाभ के लिए तथा प्रतिष्ठान के हितों के संरक्षण के लिएmfpr

(ख) अंषदान तथा/या किसी अन्य साधन, जो प्रोद्भूत हो सकते है,से प्राप्त करने के लिए सदस्योंद्वारा के निष्पादन तथा/या रजिस्ट्रेषनसे आनुषंगिक खर्चे शामिल है);

(c) व्यावसायिक फीसों तथा किसी विधिक सलाहकार की लागतांे सहित प्रतिष्ठान के कार्यों से सम्बन्धित सदस्यों द्वारा या उस के विरूद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी खर्चे;

(d) प्रतिष्ठान के कार्यों के सम्बन्ध में भगतान/भगतानयोग्य सभी उद्ग्रहणांे, षल्कों तथा अन्य प्रभारों सहित प्रतिष्ठान के संचालन या निष्पादन में उपगत सभी विधिक वैधानिक खर्चे;(ड.) सरकार के कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी[kpsZ(

(f) निधि का संचालन षत प्रतिषत नकदी रहित होगा तथा किसी भी से अधिक की कोई भी राष्िा रियल-टाईम ग्राॅस सैटलमेंट सिस्टम (आर.टी.जी.एस)/अन्य के सिवाय भुगतान नहीं की जाएगी।

20- (1) प्रतिष्ठान के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर तैयार किए जायेंगे। प्रतिष्ठान के लेखे प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतरिम रूप सेys[kk

(2) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के बाद लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा),gfj;k.kk

(3) उप नियम (1) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर परी

की जाएंगी तथा उपनियम (2) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मासds Hkhrj iwjh dh t
परन्तु सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपनियम (1) तथा (2) में लेखापरीक्षाओं काएक साथ निष्पादन वित्त वर्ष
तक विस्तारित कियाtk ldrk gSA

21- (1) वित्त वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ मास के भीतर, प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव वार्षिक रिपोर्ट।
सम्बन्धित वित्त वर्ष के लिए इसके कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवायेगा तथाप्रतिष्ठान के सम्मुख
परन्तु अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नौ मास की यह अवधि दूसरी तीन मास कीअवधि तक बढ़ाई जा सकती

(2) वार्षिक रिपोर्ट प्रतिष्ठान द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि से एक मास के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा प्रतिष्ठान की वैबसाईट पर भी डाली जाएगी।

(3) प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट आगामी मास, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त की गई है, में राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में उसके सदन के सम्मुख रखीtk,xhA

22- (1) सरकार प्रतिष्ठान के प्रबन्ध के लिए तथा वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु, जो प्रषासकीय व्यवस्था।
के लिए अपेक्षित हो, अपने नियन्त्रण के अधीन कार्यरत कार्मिक की ऐसी सेवाएं मुहैयाdjok,xhA

(2) प्रतिष्ठान को प्रषासकीय तथा तकनीकी सहायता महैया कराने के लिए सरकार से उसके विभागों/उपक्रमों से कोर कार्मिकों की अपेक्षित संख्या मुहैया कराने के लिए अनुरोध करसकता है। ऐसे

(3) प्रतिष्ठान ऐसी सेवाएं महैया कराने के लिए सेवा प्रदाताओं से भी मांग कर सकता है जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने के लिए आवष्यक हों तथा इसके कार्यों के लिए उपगतQqVdj [kpZ eqgS;k

23- insu lnL; ln~HkkoukiwoZd] lE;d rRijrk ls ln~HkkoiwoZd dh xbZ fdlh ckr ds सदस्यों का दायित्व।
दायी नहीं होंगे। सद्भावपूर्वक किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसके पास निक्षेप कीगई या रखी गई
मूल्य में न तो कमी या न्यूनता के लिए औरu gh vU;Fkk ls fdlh vLoSfPNd gkfu ds fy, Hkh nk;h vFkok mRrjnk;h

24- निम्नलिखित राज्य स्तरीय पनरीक्षण समिति वार्षिक आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा किए गए jkT; Lrjh; iqujh{k.k lfefrA
dk iqujh{k.k djsxh%&

Øe la[;k	अधिकारी का नाम/पदनाम	gSfl;r
1	2	3
1	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खान तथा भविज्ञान विभाग	v/;{k
2	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विषेष सचिव की पदवी से नीचे का नyes.	lnL;
3	पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि जो निदेषक की पदवी से नीचे का नyes.	LnL;
4	वन विभाग का प्रतिनिधि जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदवीसे नीचे का न हो।	lnL;
5	स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि जो विषेष सचिव/या महानिदेषक कीपदवी से नीचे का न हो।	lnL;
6	पंचायत तथा विकास विभाग का प्रतिनिधि जो विषेष सचिव या निदेषककी पदवी से नीचे का न हो।	lnL;
7	मख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सडकें) हरियाणा।	lnL;
8	मख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य, हरियाणा।	lnL;
9	funs'kd] [kku rFkk HkwfoKku] gfj;k.kk	lnL;&lfpo
10	राज्य खनन अभियन्ता, खान तथा भविज्ञान विभाग, हरियाणा	lnL;
11	अन्य सम्बन्धित विभागों का कोई अन्य अधिकारी/ अधिकारियों तथा/या सम्बद्ध क्षेत्र के खनिज रियायत धारकों के प्रतिनिधि जो समिति याv/;{k }kjk fofuf'pr	विषेष vkefU=rh

692 HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA) DEC. 19, 2017 (AGHN. 27, 1939 SAKA)

(2) राज्य स्तरीय पनरीक्षण समि
करेगी तथा यह सुनिष्चित करेगी कि प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सभी कार्य उपबंधों के इन निय
कार्यों/कार्यकलापों का पुनरीक्षण वार्षिक आधार परकरेगी। पुनरीक्षण समिति सरकार को अपनी रिपो

viwoZ dqekj flag]
प्रधान सचिव, हरियाणा

सरकार,
खान तथा भूविज्ञान विभाग।